फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

शंकर बनाम हरिनारायण वगै0

0 :– 65/2024

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वाके ग्राम डांगरवाडा खुर्द पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 625/233 रकबा 0.1783 है0 स्थित है। उक्त भूमि वादी की तन्हा खातेदारी भूमि है जिस पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज दखल करने के कारण वादी की तन्हा खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ दावा पेश किया है। वादी अपनी उक्त खातेदारी भूमि का पूर्व में दिनांक 05.07.2022 को सीमाज्ञान करवा रखा है। जिसके बावजूद भी प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के वादीकी तन्हा खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने एव वादी को बेकाबिज करने पर आमादा है। वादी अपनी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी आदेश 13.05.2024 पारित करवा चुका है। जिसकी जानकारी प्रतिवादीगणों को है, के बावजूद कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है तथा दिनांक 20.05.2024 को जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 625/233 रकबा 0.1783है0, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.0000है0 भूमियों की पुख्ता सीमा घोषित की जावे तथा पाबन्द किया जावें। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया है वह सीमा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। जबकि वाद पत्र में वादी द्वारा ऐसा कोई तथ्य पेश नही किया की वादी का वाद सीमा घोषणा का बनता है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्पष्ट कारण उत्पन्न नही होने से खारिज फरमाया जावें। अतः वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं मनन करने तथा पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी दिनांक 13.06.2024 को हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर कुछ हिस्से पर टीनसेड एवं बाडा बनाकर अतिकमण कर रखा है। अतः प्रकरण सीमा घोषणा का न होकर बेदखली का प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर	